सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपील कैसे दायर करें

1. अपीलार्थी कौन हो सकता है?

ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे धारा 7 की उपधारा (1) या उपधारा (3) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई विनिश्चित सूचना प्राप्त नहीं हई है, या जो यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी के किसी विनिश्चय से व्यथित है, उस अवधि की समाप्ति से या ऐसे किसी विनिश्चय की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर ऐसे अधिकारी के समक्ष अपील कर सकेगा, जो प्रत्येक लोक प्राधिकरण में, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी की पंक्ति से ज्येष्ठ पंक्ति का है| परन्तु ऐसा अधिकारी 30 दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील को ग्रहण कर सकेगा, यदि उसके प्रकरण का समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील फाइल करने में पर्याप्त कारण से निदारित किया गया था ।

जहां अपील धारा 11 के अधीन, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रदाय कराये गयी व्यक्ति की सूचना प्रकट करने के लिए किए गए किसी आदेश के विरुद्ध की जाती है वहां संबंधित पर व्यक्ति द्वारा अपील, उस आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर की जाएगी ।

धारा 19(3) के अधीन विनिश्चय के विरुद्ध दूसरी अपील उस तारीख से, जिस दिन तक विनिश्चय किया जाना चाहिए था, या वास्तव में प्राप्त किया गया था, 90 दिन के भीतर केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग के समक्ष होगी:

परन्तु, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग 90 दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील को ग्रहण तभी कर सकेगा, यदि अपीलार्थी समय पर अपील दाखिल न कर पाने के पीछे का पर्याप्त कारण पेश करे।

2. प्रथम अपील

पहली अपील एक आरटीआई आवेदक को निर्धारित समय अवधि के भीतर अघोषित, अप्राप्य, या असंतोषजनक रूप से उत्तर दिए गए जवाब के खिलाफ प्राथमिक राहत है।

धारा 7(8)(3) के तहत लोक सूचना अधिकारी आगे की अपीलों के लिए प्रथम अपीली अधिकारी के पते की जानकारी देने के लिए बाध्य हैं| अतः प्रथम अपीली अधिकारी की जानकारियों के बारे में जानकारी के जवाब से पता लगाया जा सकता हैं|

3. प्रथम अपील आवेदन की प्रक्रिया:

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 और सूचना का अधिकार नियम, 2012 में कहीं भी एक निर्धारित प्रारूप का उल्लेख नहीं किया गया है जो की पीड़ित पक्ष को पहली अपील के प्रारूपण और दाखिल करने के संबंध में मार्गदर्शन करता है। हालांकि, यह सलाह दी जाती है कि संबंधित सरकारी कार्यालय की वेबसाइटों और नियमों की जांच करें की प्रथम अपील के लिए कोई प्रारूप उपलब्ध कराया गया है या नहीं।

यह याद रखना चाहिए कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा दिनांक 25.04.2008 को जारी 'आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामित अधिकारियों के लिए दिशानिर्देश' में प्रावधान है कि- यह आवश्यक है कि अपील प्राधिकारी को यह देखना चाहिए कि न्याय न केवल किया गया है बल्कि प्रतीत भी होना चाहिए। ऐसा करने के लिए, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश एक बोलने वाला आदेश होना चाहिए जो आने वाले निर्णय का औचित्य देता हो।

इसलिए, एक उचित बोलते आदेश को प्राप्त करने के लिए, एक अपीलकर्ता को अपील के मसौदे के साथ सभी प्रासंगिक, आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।

4. अपील की संरचना को निम्नलिखित अनुभागों में विभाजित किया जा सकता है:

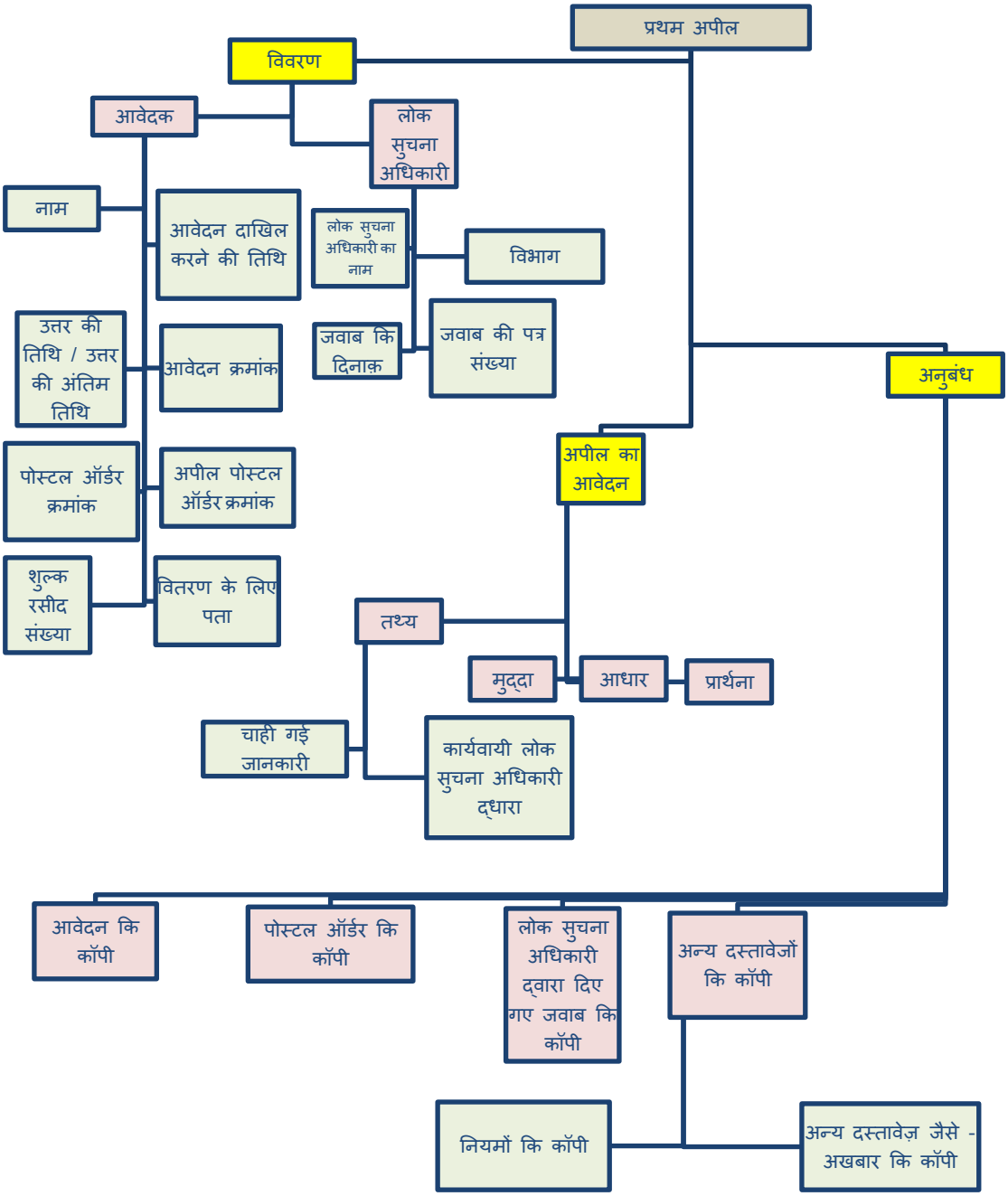

इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल (राज्य या केंद्र) के माध्यम से दायर आरटीआई आवेदन भी उसी पोर्टल के माध्यम से अपील दायर करने की सुविधा प्रदान करता है। यदि आरटीआई आवेदन ऑफलाइन दायर किया गया था, तो आपको पहली अपील ऑफ़लाइन भी दर्ज करनी होगी। यह अपील ऊपर दी गई जानकारी के अनुसार होनी चाहिए।

केंद्र सरकार के समक्ष अपील दाखिल करने के मामले में, कोई अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, राज्य सरकार द्वारा शासित सार्वजनिक प्राधिकरण के साथ दायर अपील के मामले में ऐसा नहीं हो सकता है।

उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र में, अपील के साथ 20 रुपये का कोर्ट फीस स्टाम्प लगाना होगा। इसी तरह, मध्य प्रदेश में, 50 रुपये का अपीलीय शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है। उड़ीसा में भी, आवश्यक शुल्क का भुगतान कोर्ट फीस स्टाम्प के माध्यम से करना पड़ता है।

इसलिए, यह अत्यधिक सलाह दी जाती है कि संबंधित विभागीय नियमों को पढ़ें और फिर तदनुसार अपील दायर करें।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों, केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोगों, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के निर्णयों, आदेशों, दिशा-निर्देशों आदि के आधार पर अपील, अपीलीय कार्यवाही के दौरान कानूनी तर्क को मजबूत करेगी।

इस प्रथम अपील प्रक्रिया के तहत, एक बार अपील दायर करने के बाद, अपीलीय अधिकारी के पास 45 दिनों का वक़्त है, आपकी अपील को निराकृत करने के लिए।

5. वे परिस्थितियाँ जिनके अंतर्गत आप प्रथम अपील दायर कर सकते हैं:

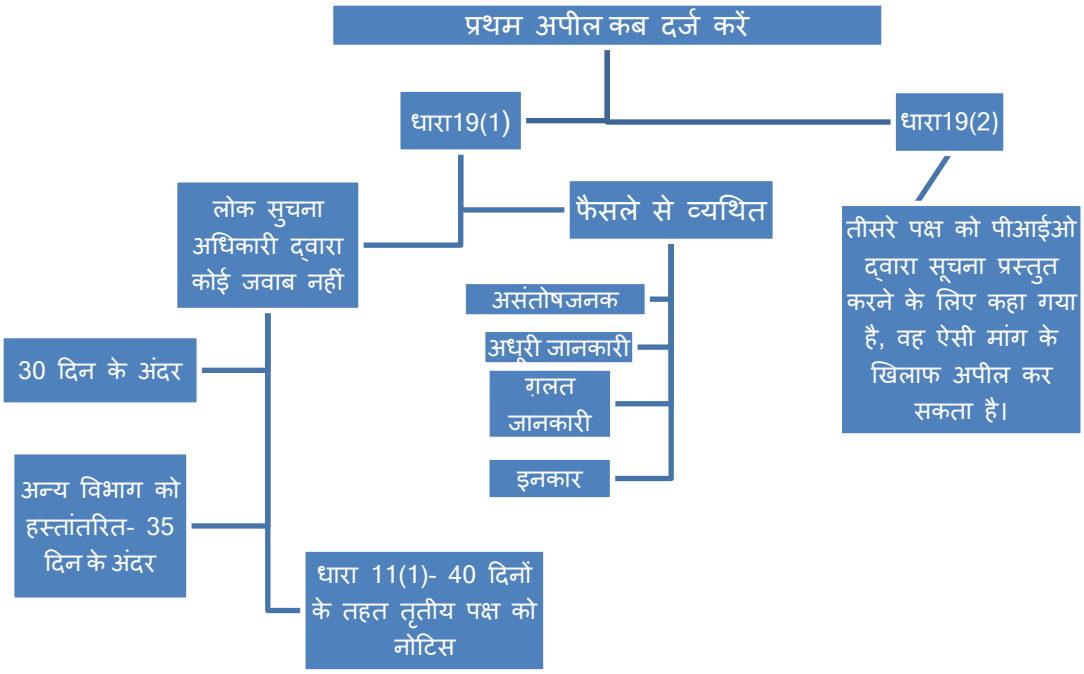

6. क्या करें और क्या न करें

पहली अपील दायर करते समय कुछ बुनियादी बातें हैं जिन्हें सभी को ध्यान में रखना चाहिए। नीचे कुछ तरकीबें दी गई हैं जिनका उपयोग कोई भी कर सकता है।

i. आरटीआई अधिनियम को पढ़ने से सक्षम अपीलों का मसौदा तैयार करने में मदद मिलेगी। यह अधिनियम के पीछे की विधायी मंशा को समझने में मदद करेगा, और अधिक मजबूत कानून आधारित आधार और तर्क सामने लाएगा।

ii. पहली अपील को संक्षिप्त और विषय पर रखें। उपर्युक्त तालिका के बिंदु चार के तहत उपरोक्त घटकों का उल्लेख करें। सामग्री को सटीक रखें। विवरणों का ध्यानपूर्वक उल्लेख करें।

iii. आधारों में यह प्रतिबिंबित होना चाहिए कि कैसे पीआईओ का कार्य आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध है। उन कानूनी प्रावधानों का उल्लेख करें जिनका उल्लंघन पीआईओ ने अपने जवाब में किया है या इस तरह कोई जवाब नहीं दिया है। अलग-अलग आधारों पर अलग-अलग अनुच्छेदों का मसौदा तैयार करें।

iv. सभी दस्तावेज संलग्न करें। इन अनुलग्नकों की संख्यांकन करें। तर्क में प्रासंगिक अनुलग्नक संख्या का संदर्भ लें।

v. फोटोकॉपी के नीचे, स्व-सत्यापित 'सत्यापित' का उल्लेख करने और प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रमाणीकरण को साबित करने के लिए इसके नीचे पूर्ण हस्ताक्षर डालने का प्रतीक है।

vi. आपको अपनी पहली अपील 'स्पीड पोस्ट' या 'पंजीकृत पोस्ट एडी' द्वारा जमा करनी चाहिए| इससे आपको इंडिया पोस्ट वेबसाइट के माध्यम से पहुचनें की स्थिति की जांच करने में मदद मिलेगी और साथ ही समय के भीतर अपील करने के आपके अधिकार का उपयोग करने का पर्याप्त सबूत होगा। इसके अलावा, आप वितरित स्थिति का एक प्रिंटआउट ले सकते हैं, और इसे रिकॉर्ड में रख सकते हैं।

vii. आरटीआई दस्तावेज जमा करने के लिए कूरियर सेवाओं से बचें।

viii. अपने अपील के दस्तावेजों का एक सेट अपने पास रखें क्योंकि आपसे अपील की सुनवाई के लिए खुद को पेश करने के लिए कहा जाएगा।

ix. ऑनलाइन सुनवाई के द्वारा उपस्थित होने का भी प्रावधान है। यदि आप ऐसा करना चाहते हैं, तो आपको पहले से सूचित करना होगा। इसी तरह, यदि आप कार्यवाही के लिए उपस्थित नहीं होना चाहते हैं और दस्तावेजों के आधार पर मामले का निर्णय करना चाहते हैं, तो ऐसा करने की अपनी इच्छा का उल्लेख करें।

7. द्वितीय अपील

कई बार प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा दी गई प्रतिक्रिया भी संतोषजनक नहीं होती है और आप आगे किसी उच्च अधिकारी के पास अपील करना चाहते हैं। यह भी संभव है कि एफ.ए.ए. ने निर्धारित समय के भीतर आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया हो।

धारा 19(3) के अधीन विनिश्चय के विरुद्ध दूसरी अपील उस तारीख से, जिस पर विनिश्चय किया जाना चाहिए था, या वास्तव में प्राप्त किया गया था, 90 दिन के भीतर केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को होगी|

सूचना का अधिकार नियम, 2012 के नियम संख्या 8 के तहत प्रथम अपीलीय अधिकारी की कार्यवाही से असंतुष्ट अपीलार्थी, संबंधित सूचना आयोग के समक्ष अपीलीय प्रकरण पेश कर सकता हैं|

8. आवेदन कहा दाखिल करें

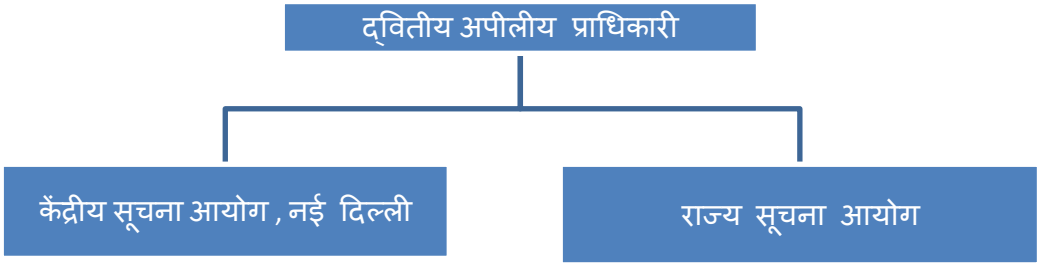

राज्य सरकार से संबंधित आवेदन के मामले में, अपील राज्य सूचना आयोग के पास जाती है। यदि आवेदन केंद्र सरकार के कार्यालयों से संबंधित है, तो अपील केंद्रीय सूचना आयोग के पास जाती है। राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग को दूसरी अपील भेजने की प्रक्रिया पहली अपील के समान है। केंद्र सरकार के लिए, आप आधिकारिक वेबसाइट, https://www.cic.gov.in/ का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपील दायर कर सकते हैं और संबंधित राज्य सरकार के लिए, आप उनके संबंधित ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं।

वर्तमान में लोकतंत्र की निम्नलिखित शाखाओं के पास ऑनलाइन आरटीआई आवेदन दाखिल करने का विकल्प मौजूद है। ऑनलाइन पोर्टल के लिंक इस प्रकार हैं:

क्र.	कार्यालय	लिंक
1.	भारत सरकार	https://rtionline.gov.in/request/request.php
2.	केंद्र शासित प्रदेश- दिल्ली	https://rtionline.delhi.gov.in/
3.	महाराष्ट्र	https://rtionline.maharashtra.gov.in/index-e.php
4.	उत्तर प्रदेश	https://rtionline.up.gov.in/
5.	मध्य प्रदेश	http://rti.mp.gov.in/
6.	मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय	https://mphc.gov.in/right-information?qt-rti=2#qt-rti

सूचना का अधिकार नियम, 2012 एक परिशिष्ट 'अपील का प्रारूप' प्रदान करता है। यह दस्तावेजों और विवरणों की एक सूची प्रदान करता है जो अपीलीय निकायों के मामले में निर्णय लेने के लिए पर्याप्त और पर्याप्त होगा। सूची इस प्रकार है:

i. अपीलकर्ता का नाम और पता
ii. केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी का नाम और पता जिसे आवेदन संबोधित किया गया था
iii. आवेदन का उत्तर देने वाले केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी का नाम और पता
iv. प्रथम अपील का निर्णय करने वाले प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का नाम और पता

v. आवेदन का विवरण

vi. आदेश (आदेशों) का विवरण, संख्या, यदि कोई हो, सहित जिसके विरुद्ध अपील की गई है।

vii. अपील की ओर ले जाने वाले संक्षिप्त तथ्य

viii. मांगी गई प्रार्थना या राहत

ix. प्रार्थना या राहत के लिए आधार

x. अपील से संबंधित कोई अन्य जानकारी

xi. अपीलकर्ता द्वारा सत्यापन/प्रमाणीकरण

हालांकि, सूचना का अधिकार नियम, 2012 के नियम 10 के अनुसार, किसी भी अपील को इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि 'परिशिष्ट' के तहत निर्धारित प्रारूप का अनुपालन नहीं किया गया है जो आपको समय पर दस्तावेज़ प्रदान करने का अवसर प्रदान करता है।

हालांकि, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यह देखा गया है कि अपीलीय अधिकारियों द्वारा अपीलकर्ता द्वारा अपनाए गए अपील के प्रारूप के आधार पर अपीलों का एक बड़ा हिस्सा खारिज किया जा रहा है, जो नियमों के तहत निर्धारित प्रारूप के साथ असंगत है।

इसलिए, यह जानने की दृढ़ता से सलाह दी जाती है कि अधिनियम और नियम के अनुसार व्यक्त प्रारूप का ही स्तमाल करें|

आप एक सादे कागज़ पर भी अपील दाखिल कर सकते हैं, अपने मामले के इतिहास, अपील दायर करने के कारणों और अस्वीकृति के कारणों का संक्षिप्त रूप से उल्लेख करते हुए। स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक से भेजने से पहले लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी (यदि कोई हो) से प्राप्त प्रतिक्रियाओं को संलग्न करना न भूलें।

सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों और केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग के उचित और सटीक फैसलों के पूरक अपील, पूर्ववर्ती स्थिति के कारण अपील को मजबूत बनाते हैं।

दूसरी अपील के लिए मामले को निपटाने के लिए कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है। मामलों की लंबित दर के निपटान को ध्यान में रखते हुए, एक दूसरी अपील की सुनवाई होने में आमतौर पर एक से दो साल लगते हैं।

आरटीआई अधिनियम समय सीमा से निपटान के लिए कोई समय सीमा प्रदान नहीं करता है। हालाँकि, इस संबंध में विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैं-

The Hon'ble High Court of Calcutta in W.P. No. 11933 (W) of 2010, *Akhil Kumar Roy v/s. The West Bengal Information Commission & Ors* said that –

माननीय उच्च न्यायालय कलकत्ता ने **डब्ल्यू.पी. क्र. 11933 (डब्ल्यू) वर्ष 2010, अखिल कुमार रॉय बनाम पश्चिम बंगाल सूचना आयोग** में कहा, जिसका hindi अनुवाद निम्न है कि -

> **"दूसरी अपील धारा 19(1) के तहत पहली अपील में निर्णय से उत्पन्न होती है, और पहली अपील धारा 7 के तहत निर्णय देने या निर्णय देने में विफलता से उत्पन्न होती है।**

> अधिनियम की धाराओं के माध्यम से बुनी गई गति के एक मजबूत स्ट्रैंड की चमक दूसरी अपील में अचानक खो गई है, जिसे जंगली तरीके से चलने की अनुमति दी गई है। यह ओपन एंडेड दूसरी अपील योजना धारा 6 के अनुरोध को पूरी तरह से एक बहु-स्तरीय परिहार्य और अवांछित ऑफशूट कोर्ट कार्यवाही, जैसे इस मामले को उत्पन्न करने के लिए बाध्य करती है। मेरी राय में, धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील पर निर्णय लेने के लिए निर्धारित संबंधित अधिकतम अवधि, और धारा 7 के तहत सूचना प्राप्त करने के अनुरोध के निपटान को ध्यान में रखते हुए, द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील दाखिल करने की तारीख से 45 दिनों के भीतर दूसरी अपील का फैसला करना चाहिए था। क़ानून की योजना को ध्यान में रखते हुए, मुझे लगता है कि इस अवधि को दूसरी अपील पर निर्णय लेने के लिए उचित अवधि माना जाना चाहिए। मेरा विचार है कि अपील पर निर्णय लेने के लिए प्राधिकारी को निर्देश देने वाली इस याचिका का निपटारा किया जाना चाहिए। इन कारणों से, मैं याचिका का निपटान करते हुए आदेश देता हूं कि द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी इस आदेश के संचार की तारीख से 45 दिनों के भीतर याचिकाकर्ता की दूसरी अपील पर फैसला करेगा।"

कलकत्ता में माननीय उच्च न्यायालय, एक और मामले में, *आलोक पटवारी बनाम राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य (2010 का डब्ल्यू.पी. संख्या 11933 (डब्ल्यू))* निम्नानुसार आयोजित किया गया:

> "मैं उक्त विद्वान न्यायाधीश के निर्णय से पूरी तरह सहमत हूं और मानता हूं कि 19 अप्रैल, 2010 को याचिकाकर्ता द्वारा की गई दूसरी अपील को प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर निपटाया जाना चाहिए था।"

जयप्रकाश रेड्डी बनाम केंद्रीय सूचना आयोग और भारत संघ, के मामले में माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि-

> "यह वास्तव में ध्यान दिया जाना चाहिए कि दूसरी अपील पर निर्णय लेने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। इसलिए, यह व्याख्या करना होगा कि जब कोई समय निर्धारित नहीं है, तो इसका पालन होगा कि इसे उचित समय के भीतर तय किया जाना चाहिए। चूंकि पहली अपील पर निर्णय लेने के लिए एक समय सीमा निर्धारित है, इसलिए यह निष्कर्ष निकालना सुरक्षित होगा कि एक समान अवधि दूसरी अपील के निर्णय के रूप में लागू होगी, अन्यथा, यह ऐसी स्थिति का कारण बनेगी जहां अधिनियम का उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ है। यदि प्राधिकरण को दूसरी अपील की सुनवाई और निर्णय को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देना चाहिए।

नतीजतन, यह माना जाएगा कि दूसरी अपील को भी दाखिल करने की तारीख से 45 दिनों की अवधि के भीतर तय करना होगा।

9. विशेषज्ञ के सुझाव:

पहली या दूसरी अपील दाखिल करते समय पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त, श्री शैलेश गांधी द्वारा साझा किए गए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव नीचे दिए गए हैं:

i. यदि लोक सूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी अपील प्राप्त करने की निर्धारित अवधि के भीतर आदेश पारित नहीं करता है, तो इसे "घोषित इनकार" के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए और पहली अपील दायर करने के 120 दिनों के भीतर दूसरी अपील दायर की जानी चाहिए।

ii. यदि प्रथम अपीलीय अधिकारी ने लोक सूचना अधिकारी को आवश्यक जानकारी प्रदान करने का आदेश दिया है और पीआईओ ऐसा करने में विफल रहता है, तो आप पहले एफ.ए.ए. से संपर्क कर सकते हैं और दूसरी अपील दायर करने से पहले उसे ऐसे किसी भी तथ्य से अवगत करा सकते हैं।

iii. यदि आप प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष सुनवाई में अपना मामला प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो आप अपनी अपील में ऐसा कह सकते हैं और यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो भी स्पष्ट रूप से बता सकते हैं। एफ.ए.ए. आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अनुमति देने के लिए बाध्य है।

iv. यदि आप कोई अपील ऑफलाइन दर्ज कर रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि इसे स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजा जाता है ताकि पहुचने की स्थिति की ऑनलाइन निगरानी की जा सके और आपके पास डिलीवरी का प्रमाण हो।

v. राज्य सूचना आयोग में पहली और दूसरी अपील के लिए शुल्क संबंधित राज्य के नियमों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। कुछ मामलों में, जब अपील अपर्याप्त शुल्क के साथ प्राप्त होती है, तो लोक सूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी आवेदक से आवेदन को सीधे खारिज करने के बजाय अपेक्षित राशि जमा करने के लिए कह सकता है।

प्रथम अपील का प्रारूप

प्रथम अपील

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(3) के तहत अंतर्गत)

दिनांक: 01.02.2021

आवेदन का विवरण	
नाम	जेठालाल गड़ा
पता	गोकुलधाम सोसेटी , पाउडर गली , वाशी , मुंबई
दूरभाष	1212121212
ई-मेल	jethalal@gmail.com
आवेदन क्र.	RTI/01/2021
आवेदन दिनांक	01.01.2021
जावाब दिनांक	26.01.2021
पोस्टल ऑर्डर क्र,	xxxxxxxxx
शुल्क रसीद क्र.	FEE/01/2021
अपील पोस्टल ऑर्डर क्र.	XYXYXYXY

लोक सूचना अधिकारी का विवरण	
नाम	भिड़े
विभाग	लोक निर्माण विभाग
जवाब की तारीख	26.01.2021
जवाब पत्र क्र.	REPLY/10/2021

प्रथम अपील का विवरण	
तथ्य	आवेदक ने निम्न जानकारी चाही थी: *कृपया 01.01.2019 से 01.01.2021 तक की अवधि के मुंबई शहर की सड़कों की निरीक्षण रिपोर्ट प्रदान करें।* पीआईओ ने 25 दिनों के बाद पत्र संख्या उत्तर/10/2021 दिनांक 26.01.2021 के माध्यम से उत्तर दिया कि मांगी गई जानकारी प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। आवेदन और पीआईओ के जवाब की प्रतियां वर्तमान अपील के क्रमशः अनुलग्नक संख्या 1 और

	2 के रूप में संलग्न हैं।
मुद्दा	**सूचना आरटीआई अधिनियम के तहत उपलब्ध कराने के योग्य है या नहीं?**
आधार	**धारा 2 (च) के अनुसार, सूचना की परिभाषा में इसके तहत 'रिपोर्ट' शामिल है। इसलिए, सूचना आरटीआई अधिनियम के पूर्वावलोकन के तहत प्रस्तुत की जाती है।**
प्रार्थना	माननीय प्रथम अपीलीय अधिकारी महोदय से निवेदन है की: यह की, चाहीं गयी जानकारी आवेदक को उपलब्ध करायी जाए|

सल्लाग्न दस्तावेजो की सूची		
क्र.	**दस्तावेज क्र.**	**विवरण**
01.	A1	आरटीआई आवेदन दिनांक 01.01.2021
02.	A2	लोक सूचना अधिकारी का जवाब दिनांक 26.01.2021
03.	A3	रुपये के भुगतान शुल्क की रसीद। 10, संख्या FEE/01/2021, दिनांक 01.01.2021

द्वितीय अपील का प्रारूप

माननीय केंद्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली

क्रम-सूची

फाइल क्रमाक____________________

(अंतर्गत धारा 19, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

श्रीमान ______________

……….. अपीलार्थी

बनाम

____

………… प्रतिवादी

क्रमांक	**विवरण**	**पृष्ठ क्रमांक**
01.	अनुक्रमणिका	
02.	दिनांक और कार्य	
03.	द्वितीय अपील	
04.	अनुबंध क्र. 1	
05.	अनुबंध क्र. 2	
06.	अनुबंध क्र. 3	

दिनांक: (श्रीमान______)

अपीलार्थी

माननीय केंद्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली

दिनांक और कार्यवाहियाँ

फाइल क्रमाक_____

(अंतर्गत धारा 19, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

श्रीमान _____

…….. अपीलार्थी

बनाम

_____

…… प्रतिवादी

क्र.	**दिनांक**	**कार्यवाही**
01.		
02.		
03.		
04.		

दिनांक: (श्रीमान_____)

अपीलार्थी

माननीय केंद्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली

द्वितीय अपील

फाइल क्रमाक_____

(अंतर्गत धारा 19, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

श्रीमान _____

…….. अपीलार्थी

बनाम

_____

……. प्रतिवादी

सेवा में,
केंद्रीय सूचना आयुक्त महोदय,
नई दिल्ली, भारत

अपीलकर्ता का संक्षिप्त परिचय:

आरटीआई आवेदन का विषय:

मामले के संक्षिप्त तथ्य:

आधार एवं प्रस्तुतियाँ:

प्रार्थना

दिनांक: (श्रीमान_____)

अपीलार्थी